

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला।

विषय:

यादि क्रमांक 244-व-5-2016 / 5874
चण्डीगढ़ दिनांक 29/3/2016
Diversion of 0.24 ha. forest land in favour of Executive Engineer, Provincial
Division No.2 PWD B&R Br.Gurgaon for work of providing hard shouldering
and strengthening of road Hailymandi Farukhnagar to Birhera Sewari road,
under Forest Division and District Gurgaon, Haryana.(6575).

संदर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक डी-III-6575/7359, दिनांक 12.03.2016.

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा संदर्भाधीन 0पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतु 0.24 ha. वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है:-

- (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- (ii) प्रस्ताव के अनुसार इस स्कीम में कोई वृक्ष बाधक नहीं है। अतः कोई वृक्ष काटा नहीं जायेगा।
- (iii) प्रयोक्ता एजेंन्सी से स्कीम अनुसार 791708/-रु प्रतिपूर्ति पौधारोपण राशि CAMPA में जमा करवाई जाये।
- (iv) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Manesar section 4 & 5 area of PLPA पर प्रयोक्ता एजेंन्सी से प्राप्त 791708/-रु (Seven lac ninty one thousand seven hundred eight only) की राशि से 480 पौधे लगा कर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के साथ जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर- हो जाना चाहिए।
- (v) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- (vi) Supreme Court के आदेशानुसार जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंन्सी बाध्य होगी।
- (vii) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेगें।
- (viii) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- (ix) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- (x) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- (xi) प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेगे।
- (xii) जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिकईन्धन उपलब्ध करवायेगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- (xiii) प्रयोक्ता एजेंन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणि समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- (xiv) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- (xv) अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- (xvi) प्रयोक्ता एजेंन्सी उपरोक्त शर्तों की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा को नियमित रूप से भेजेगी।
- (xvii) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेने विभाग की जिम्मेवारी होगी।

(18/11)

विशेष सचिव, 25/3/16

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

1/1/16

वन मण्डल अधिकारी, गुडगांव।